



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5977

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 330 / 2026

अरमान उर्फ सिप्पी उर्फ दीपूआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रद्युम्न वशिष्ठ, प्रतीक राय

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि., गुलाब आनंद

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री प्रद्युम्न वशिष्ठ, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए और श्री गुलाब आनंद, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए तथा श्री जय किशन चौरसिया, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 02 / 2025, धारा 103(1), 332(c), 61, 190, 191(2), 191(3) बी.एन.एस. और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के अधीन, थाना - गगलहेड़ी, जिला - सहारनपुर में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी प्रकार की स्थिति में सह-अभियुक्त विकास @ विक्की को, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 18221 / 2025 में दिनांक 1.8.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आवेदक का मामला उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को दिए गए आपराधिक इतिहास को एक मामले को छोड़कर स्पष्ट किया जा चुका है जो वर्तमान मामले के पश्चात उस पर थोपा गया है। पिस्तौल की एक झूठी बरामदगी उस पर थोपी गई है। आवेदक 8.7.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत की प्रार्थना का बलपूर्वक विरोध किया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
7. **प्रभाकर तेवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों की लंबितता अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नबहन खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** में पारित निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णय के आलोक में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक **अरमान उर्फ सिप्पी उर्फ दीपू**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।



10.उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

सिद्धांत